न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री दाताराम आर.ए.एस.

अपील संख्या : 01/2015 (76 एलआरएक्ट) मोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार

1. मोहनलाल पुत्र श्री जीयाराम
2. भैराराम पुत्र श्री जीयाराम जातियान माली निवासीगण ग्राम बेलवा राणाजी तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर दिनांक 29.10.2014 अंतर्गत अपील सं. 107/2012

उपस्थित :

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बांवरला।
2. रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 17.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर के आदेश दिनांक 29.10.2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बालेसर ने अपीलांट के विरुद्ध हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बेलवा के खसरा नं. 1952 रकबा 2 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि पर आवासीय ढाणी–बाड़ा व नलकूप का अतिक्रमण होना बताकर अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया था। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें आदेश पारित किया गया कि अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा

17/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यह प्रकरण उप तहसीलदार बालेसर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निस्तारण करे। उक्त आदेश की पालना में अपीलांट की ओर से उपतहसीलदार बालेसर के समक्ष साक्ष्य शपथ पत्र एवं दस्तावेज आदि पेश किए परंतु उपतहसीलदार बालेसर ने उक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपीलांट की अनुपस्थिति में दिनांक 02.06.2011 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल घोषित किए जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की परंतु अपील न्यायालय ने भी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात को भली भांति अध्ययन एवं अवलोकन किए बिना ही अपीलांट की अपील खारिज किए जाने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2014 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिंदुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.03.10 को प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया था। जिसमें 1 जनवरी 2000 से पूर्व के अतिक्रमण को नियमन किया जाना था। अपीलांट भूमिहीन है अतः नियमन की पात्रता रखता है फिर भी नायब तहसीलदार बालेसर ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया एवं बेदखली के आदेश कर दिए। अति. जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर ने भी दिनांक 29.10.2014 में पृथक से नियमन करने की लिखते हुए अपील को खारिज कर दिया है अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड कर नियमन हेतु निर्देश दिए जाने हेतु निवेदन किया।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी अतिक्रमी है। धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमण को बेदखली संबंधी कार्यवाही होती है। इस धारा के तहत नियमन नहीं हो सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर ने दिनांक 29.10.2014 में पृथक से नियमन करने की लिखते हुए अपील को सही खारिज किया है। अतः अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

6 अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर के दिनांक 29.10.2014 के आदेश के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि पारित आदेश उभय पक्षकारान को

17/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर पारित किया है जिसमें यह भी अंकित किया गया है कि अपीलांट का आवासीय मकान राजस्व विभाग के द्वारा जारी परिपत्रानुसार नियमन योग्य है तो अपीलांट अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। इस आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। जहां तक अपीलांट का तर्क है कि जब तक इस अपील में अधीनस्थ न्यायायल को नियमन के निर्देश नहीं दिए जाएंगे तब तक नियमन की कार्यवाही नहीं कर सकते। अपीलांट का यह तर्क उचित नहीं है अपीलांट ने इस संबंध में ऐसा कोई प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया कि धारा 91 के प्रकरण में नियमन की कार्यवाही की जाती हो। वास्तविकता यह है कि नियमन की कार्यवाही के लिए राज्य सरकार ने जो परिपत्र जारी किया है उसके अनुसार प्रार्थी द्वारा स्वयं नियमन की कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी के यहां अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए जहां उसकी पात्रता एवं कब्जे आदि की पूर्ण जांच की जाकर उचित आदेश पारित किया जा सकता है। इस प्रकरण में केवल मात्र अपील के जरिए अनुचित लाभ लेने की दृष्टि से नियमन कराने के निर्देश लेने की मंशा प्रतीत होती है जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

7 अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनाक 29.10.2014 यथावत रखा जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर